# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

| मु.न. | प्रवेश तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|
| 242 / 2011 | 10.08.2011 | 02.05.2022 |
| | उनवान | |

1. मल्लूखां पुत्र भूरेखां
2. आसूखां
3. खुशीद खां पुत्रान कल्लू खां जाति मेव निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:–प्रतिवादी

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

.....

उपस्थितः–

1. श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादीगण की और से ।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णयः–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास में भूरेखां पुत्र भोलू मेव आबाद था जो साबिकं खसरा नम्बर 1282 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा पर काबिज व दखिल था व कानूनन खातेदार काश्तकार था भूरेखां की आराजी मे निस्फ भाग मे वादी नम्बर 1 व व निस्फ भाग मे वादी सख्या 2 व 3 खातेदार हुए , इसी तरह काबिज व दखिल आज भी चले आ रहे है।

चोरबसई मे साबिक खसरा नम्बर 1282 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का काबिज काश्तकार भूरेखां पुत्र भोलू मेव जो वादीगण का पिता एवं दादा था जिसके इन्तकाल के बाद मिन वादीगण काबिज वो दखिल है। वक्त भूप्रबन्ध आराजी खसरा नम्बर 1282 के हाल खसरा नम्बर 1372 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा बने है।

भू. प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयो की लापरवाही की वजह से हाल खसरा नम्बर 1372 बनाया , जबकी साबिक खसरानम्बर 1282 की जगह 1382, 1383 दर्ज कर दिया , जबकी खसरा नम्बर 1382 , 1383 की कोई जमाबन्दी या उक्त नम्बर ग्राम चोरबसई मे थे ही नही , लेकिन उक्त गलतियो भू. प्रबन्ध कर्मचारीयो द्वारा की गई। ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

चोरबसई का अंन्तिम नम्बर 1303 है जिससे साफ है कि 1282 को 1382 दर्ज किया गयाहै। काबिले दुरूस्ती है।

भू. प्रबन्ध विभाग ने उक्त खसरा नम्बर का गलत मिलान क्षेत्रफल तैयार कर दिया गया। इससे एक भी कदम आगे बढकर जो हाल खसरा नम्बर 1372 बनाया है उसे वादीगण का नाम हजफ कर चारागाह दर्ज कर दिया ।जो काबिले दुरूस्ती है। इसलिए वाद वादीगण न्यायालय श्रीमान मे पेश करना लाजिम आया है।

अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

1. घोषणा किया जावे किहाल खसरा नम्बर 1372 रकबा 1.43हे.वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास जिलाअलवर के वादी सख्या 1मल्लू 1/2 भाग , वो वादी सख्या 2 आसूखां को वादी सख्या 3 खुर्शीदखां 1/2 भाग के काबिज खातेदार काश्तकार है वो इसी प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।
2. करार दिया जावे कि भु.प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1372 के जो साबिक खसरा नम्बर 1382 बनाये गये है वो गलत है 1382 ग्राम चोरबसई मे मोजूद नही है वो खसरा मिलान क्षेत्रफल 1282 को 1382 दर्ज कर दिया है वह गलत है दुरूस्त किया जावे।
3. करार दिया जावे कि हाल राजस्व रिकार्ड मे 1372 रकबा 1.43 हे. वाके ग्राम चोरबसई की किस्म चारागाह दर्ज की गई है वह गलत है उसे हजफ किया जाकर उसके स्थान पर काबिल काश्त किस्म दर्ज किया जावे। वादीगणकी खातेदारी मे दर्ज किया जावे।
4. प्रतिवादी को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त आराजी खसरा नम्बर 1372 वाके ग्राम चोरबसई को गलत इन्द्राज के आधार पर हम वादीगण को बेदलखल नही करे ना ही आराजी को दीगर जगह आवंटित करे।
5. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब दावा पेश कर वाद वादी को खारिज किये जाने निवेदन किया।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप मे पी.डब्ल्यू 1 आसूखां , पी.डब्ल्यू 2 समसू, पी. डब्ल्यू 3 अयुब शपथ पत्र पेश किये । पी.डब्ल्यु 1 प्रदर्श कलमबद्व कराये गये।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया । तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार 1372 रकबा 5

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

बीघा 13 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 1382 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा एवं 1383भी रकबा 0–02 बिस्वा वाके ग्राम चोरबसई बने है। जबकी साबिक रिकार्ड मे अंन्तिम मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1303 है। हाल खसरा नम्बर 1372 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का साबिक नम्बर 1282 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा एवं 1283 भी. रकबा 0–02 बिस्वा वाके ग्राम चोरबसई होना चाहिए। साबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 जो प्रदर्श 3 है के अनुसार मौजू हि0 धन्ना मलूकसिह धूपसिह समभग 1 हि0 भूरेखां पुत्र भोलू हि0 मून्दर्ज कस्टोडियन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2015 मे साबिक खसरा नम्बर 1282 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म बजंड कदीमआवाके ग्राम चोरबसई मे भूरेखां पुत्र भोलू हिस्सेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा टिप सम्वत 2005 लगायत 2007 मे मौजू वेगरा खसरा नम्बर 1161 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिससे यह बाखूबी साबित होता है वादीगण के बुजुर्गान आराजी विवादित के काश्तकार हिस्सेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड रहे है लेकिन भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी विवादित को बंजड कदीम से चारागाह एंव वादीगण के पिता के नाम को हटा कर सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया। जिसका भू. प्रबन्ध विभाग को करने का कोई हक वो अधिकार हासिल नही था। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जो वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया है वो किसी न्यायालय के आदेश के तहत नही हटाया गया है जिसका भू. प्रबन्ध को काई हक वो अधिकार हासिल नही था। वादीगण द्वारा आराजी विवादित की बाद दर्ज होने सिवायचक तहसीलदार किशगनढबास पर धारा 91 की कार्यवाही भी अमल मे लाई गई । तथा जिससे यह भी बाखूबी साबित होता है कि विवादित आराजी पर वादीगण के पिता एवं उनकी फोतगी के पश्चात वादीगण आराजी विवादित पर काबिज रहे । तथा तहसीलदार किशगनढबास द्वारा समय समय पर आराजी विवादित सिवायचक दर्ज होने के बाद धारा 91 की कार्यवाही अमल लाई गई। किस्म बंजड कदीम से चारागाह एवं सिवायचक राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया है वो भी न्याय एवं विधि के सिद्वान्तो के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसलिए हम आराजी विवादित 1372 रकबा 1.43 हे. वाके ग्राम चोरबसई मे मुताबिक साबिक रिकार्ड के अनुसार किस्म चारागाह से बजड कदीम एवं भू. प्रबन्ध से पूर्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादी काबिले आंशिक डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1372 रकबा 1.43 हे. वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशगनढबास के काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी उक्त मे सिचायचक लगानी एवं किस्म चारागाह को कलमजन किया जाकर वादी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

सख्या 1 को 1/2 हिस्से एवं वादी सख्या 2 एव 3 को 1/2 हिस्से का गैर खातेदार एव किस्म बजड कदीम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास